

# डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)



संख्या : लो०आ०वि० / सम्ब० / 1879

दिनांक : ०७/०६/ 2020

सेवा मे.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1.प्र०० फारुख जगाल, विभाग—वायोकेमेरटी, डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या। | -आचार्य         |
| 2.डॉ० वी०क० त्रिपाठी, विभाग—कृषि, सी०एस०ए० युनिवर्सिटी ऑफ एमीकल्बरल, काशीपुर।           | -विशेषज्ञ सदस्य |
| 3.डॉ० इन्दू सिंह, विभाग—जननु विज्ञान, केण्टन०आई०पी०ए०ए०ए०, सुलतानपुर।                   | -विशेषज्ञ सदस्य |
| 4.डॉ० विजय प्रताप सिंह, विभाग—अंग्रेजी, केण्टन०आई०पी०ए०ए०ए०, सुलतानपुर।                 | -विशेषज्ञ सदस्य |
| 5.डॉ० कौशिक वर्मा, प्राचार्य, राजकीय डिग्री कालेज, मुराफिरखाना, अमरठी।                  | -सदस्य / सचिव   |

**विषय—** रामदुलारी शारदाप्रसाद इन्द्रभद्र सिंह स्नातकोत्तर गणविद्यालय, मङ्गवारा, सुलतानपुर को स्नातक/परास्नातक स्तर पर पर कृषि/विज्ञान/कला संकाय के अन्तर्गत बी०एस—री कृषि पाठ्यक्रम में बी०एस—री पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में तथा ए०ए० अंग्रेजी, एवं चमाज शास्त्र विषयों में त्वचित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से सम्बद्धता (तिथि) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

**महोदय/महोदया,**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुसेधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सापूर्ण निर्मित गवन के साथ अपनी फोटो खिंचायेंगे, जिसे हस्ताक्षर राहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोग्राफी करायी जायें, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण नवन घटारीवारी, गेट, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुगोदित शिक्षाकों एवं गान्कानुसार वाहित अन्य अवस्थाएँ सुनिश्चितों की रिकार्डिंग सम्मिलित हों तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०ए० भी प्रेषित की जाय। (सूचीस्त के पश्चात किरी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

**निम्न विन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है—**

1. महाविद्यालय को संचालित करने वाले रामिति के पंजीकरण एवं कैवल्या की तिथि।
2. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि गणविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित होने से संबंधित खत्तीनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की तिथि।
3. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का सयुक्ता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नवशा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की तिथि, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित भूमि का विवरण गाटाओं एवं क्षेत्रफल सहित अकित किया जाए।
4. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, वा उसी गाटों पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवरित्ति होने की तिथि में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की तिथि।
6. सोसायटी/ट्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संस्था की विगत तीन वर्षों की री०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट अन्यथा की तिथि में तहसीलदार द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बगत खाटों में बायातन जगा धनराशि।
8. मानकानुसार प्रामूर्त घरासाड़ी जगा होने की तिथि।
9. प्रबन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अकित विवरण/प्रविष्टियों तथ्यों पर आधारित एवं सही है का 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की तिथि।
10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यूजी०सी० की धारा २५५ में पंजीकृत होने की तिथि।
11. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
12. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट तिथि, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
  - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय/अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं गीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा घटारीवारी आदि के निर्मित होने की तिथि।
  - c) फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की तिथि।
  - d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की तिथि में सम्बंधित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की तिथि (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
  - e) मानकानुसार शिक्षाकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
13. विभिन्नपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट तिथि, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय गे धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
  - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं गीटिंग कक्ष,

३



# डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

शीघ्रालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्मित होने की स्थिति।

- c) फॉनीबर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
  - d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की स्थिति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
  - e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यूपी०एस०री०पी०य० आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की स्थिति।
15. प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुरक्षित होने का निरीक्षण दर्ज के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
17. रामूचिक नक्ल का आवेदन न होने की स्थिति(प्रगाण संलग्न करें)।
18. नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों के वेतन मुग्तान बैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।
19. नेशनल पिलिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रयाण पत्र अधिशारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशारी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का ही एवं अभियन्त्रण की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रयाण पत्र संलग्न किया जाय।
20. निरीक्षक मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अप्टरेटिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।
21. निरीक्षण मण्डल के रादरस्यों द्वारा सम्बद्धता (स्थायी) के आवेदन की स्थिति में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामूहिक हस्ताक्षरित छायाचित्र प्रबन्धक/संवित के साथ तथा वीडियोग्राफी की सीधी। को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

सन्दर्भित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012टी०पी० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की द्वारा निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की स्थिति में तत्सम्बन्धी अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कदम करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कदम करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों का प्रयाण पत्र संलग्न करने के अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तत्वों का स्पष्ट विवरण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तत्वों का प्रस्तुत की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय बांगने के सम्बन्ध में लिखित राश्य निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्मत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्मत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/संवित (हीट्रीय उच्च शिक्षाविकारी अथवा नामित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-6-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशानुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

युद्ध यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समस्त व्यय जिसमें दी०५०/डी०५० एवं अन्य व्यय सम्भिलित हैं युद्ध यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समस्त व्यय जिसमें दी०५०/डी०५० एवं अन्य व्यय सम्भिलित हैं का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रयाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अपान्य/नियमों के विपरीत कोई घनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षाविकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कदम करें।

नोट-चल्लिंगित बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा गमीरता से निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से रख्य अंकित की जाये।

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बन्धी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्मित आदेश/एडवाइजरी के पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा। यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिक्रियों के अधीन होगा।

भवदीय,

उप-कुलसंविव

**प्रतिलिपि:-**

- प्रबन्धक/संवित ( रामदुलारी शारदाप्रसाद इन्ड्रभद्र सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मजबूरा, सुलतानपुर ) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क रखायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में राहयोग प्रदान करने का कदम करें अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में महाविद्यालय के अनुपालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोफेसर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लौग-इन पर अपलोड करने का कदम करें।

उप-कुलसंविव